

अत्यावश्यक
नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन, 2023



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या -न.नि.50-25/2023 - 2262

सत्यमेव जयते

प्रेषक,

संजय कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
(कैमूर, जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा, कटिहार,
शेखपुरा एवं बेगुसराय जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक -15.6.23

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023 : नगरपालिकाओं से नव निर्वाचित पार्षदों/उप मुख्य पार्षदों/मुख्य पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने के संबंध में।

प्रसंग : नगर विकास एवं आवास विभाग का अधिसूचना संख्या 1772 दिनांक 14.06.2023 एवं अधिसूचना संख्या 1773 दिनांक 14.06.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023 के अन्तर्गत कुल 31 नगरपालिकाओं का आम निर्वाचन एवं 31 नगरपालिकाओं के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 09.06.2023 को सम्पन्न हुये हैं तथा मतगणना दिनांक 11.06.2023 को मतगणना उपरान्त निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाएँ समाप्त हो गई हैं। साथ ही प्रासंगिक अधिसूचनाओं द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा संबंधित जिलों के नगरपालिकाओं के नव निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षदों के नाम का प्रकाशन कर दिया गया है। (अधिसूचना की प्रति संलग्न)

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 15 के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के नव निर्वाचित पार्षदों एवं अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत नगर निगम के नव निर्वाचित मुख्य पार्षदों/उप मुख्य पार्षदों का शपथ-ग्रहण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा 35 के अधीन नगरपालिका की पहली बैठक में सम्पन्न किया जाना है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :-

(क) सभी नव निर्वाचित पार्षदों/उप मुख्य पार्षदों/मुख्य पार्षदों को दिनांक **27.06.2023** को बैठक आयोजित कर शपथ-ग्रहण की कार्रवाई सम्पन्न की जाय।

(ख) नगर निगम के पार्षदों/उप मुख्य पार्षदों/मुख्य पार्षदों के मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 1652 दिनांक 15.05.2012 (पत्र संलग्न) से जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है अतः जिला पदाधिकारी अपने जिले के नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/ मुख्य पार्षद का शपथ-ग्रहण सम्पन्न करायेंगे।

(ग) नगर परिषद के मामले में जिला पदाधिकारी द्वारा नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद के शपथ-ग्रहण कराने के लिए जिला के अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को नियुक्त की जायेगी। उक्त स्तर के पदाधिकारियों की कमी होने पर जिला पदाधिकारी उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों को भी नियुक्त कर सकेंगे।

(घ) नगर पंचायत के मामले में जिला पदाधिकारी द्वारा नगर पंचायतों के निर्वाचित पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद के शपथ-ग्रहण कराने के लिए जिला में पदस्थापित वरीय उप समाहर्ता या उससे ऊपर के पदाधिकारियों को नियुक्त की जायेगी।

(ङ) पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद को संलग्न प्रपत्र "क" में सूचना देकर शपथ ग्रहण हेतु बुलाई गई बैठक की लिखित सूचना शपथ-ग्रहण कराने वाले पदाधिकारी द्वारा पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद को दी जाएगी। सूचना में बैठक का स्थान, तारीख तथा समय का उल्लेख अनिवार्य रूप से रहेगा। ध्यान रहे कि प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधियों को कम से कम पूरे सात दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 19.06.2023 तक प्रथम बैठक के स्थान, तिथि एवं समय की सूचना तामिला करा दिया जाना बैधानिक अनिवार्यता है। समय पर सूचना तामिला कराने की पूरी जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी की होगी।

(च) बैठक में भाग लेने वाले सभी निर्वाचित पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद की उपस्थिति ली जाएगी तथा बैठक की कार्यवाही अंकित की जाएगी जिसमें शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान कराने वाले अधिकृत पदाधिकारी सहित सभी उपस्थित पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद का हस्ताक्षर होगा।

(छ) बैठक को प्रारंभ करते हुए संबंधित पदाधिकारी द्वारा संलग्न 'प्रपत्र-ख' में उपस्थित सभी निर्वाचित पार्षदों को तथा संलग्न 'प्रपत्र-ग' में उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद को शपथ/प्रतिज्ञान करवाया जाएगा।

(ज) उक्त बैठक के लिए अन्य कोई भी मुद्दा विचारणीय नहीं रखा जाएगा।


(झ) शपथ-पत्र को आयोग के वेबसाइट पर उसी दिन अपलोड कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को दी जायेगी।

(ञ) बैठक के दिन व्यापक विधि-व्यवस्था का संधारण किया जाय एवं मिडिया कर्मियों के निमित्त स्थान चिह्नित कर व्यवस्था की जाय।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र-ग

विश्वासभाजन,



विशेष कार्य पदाधिकारी।

पटना, दिनांक - 15.6.23

ज्ञापांक -न.नि.50-25/2023 - 2262

प्रतिलिपि, आई.टी.मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।




विशेष कार्य पदाधिकारी।

पटना, दिनांक - 15.6.23

ज्ञापांक -न.नि.50-25/2023 - 2262

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक -न.नि.50-25/2023 - 2262

पटना, दिनांक - 15.6.23

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 15/06/23

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक -न.नि.50-25/2023 - 2262

पटना, दिनांक - 15.6.23

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 15/06/23

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक -न.नि.50-25/2023 - 2262

पटना, दिनांक - 15.6.23

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

 15/06/23

विशेष कार्य पदाधिकारी।

प्रपत्र-क

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ सुश्री

निर्वाचित पार्षद, वार्ड संख्या/ उप मुख्य पार्षद/ मुख्य पार्षद*

नगरपालिका -

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 15 एवं नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम 112 के प्रावधानों के तहत निर्वाचित पार्षदों/ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 24 एवं नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम 112 के प्रावधानों के तहत निर्वाचित उप मुख्य पार्षद/ मुख्य पार्षद* के शपथ ग्रहण हेतु बैठक दिनांक को बजे पूर्वाह्न में में की जाएगी। निर्धारित समय से एक घंटे की अवधि के भीतर नहीं आने पर आपको बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

स्थान -

शपथ ग्रहण/ प्रतिज्ञान कराने वाले अधिकृत पदाधिकारी

दिनांक -

नगरपालिका -

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रपत्र-ख

(वार्ड पार्षद के लिए)

(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-15
एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 का नियम-112)

शपथ/प्रतिज्ञान पत्र

मैं , जो नगरपालिका क्षेत्र का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ,
ईश्वर की शपथ लेता/ लेती हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/ करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा/ रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला/ वाली हूँ, उसके
कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा/ करूँगी।

शपथ ग्रहण करने वाले पार्षद
का हस्ताक्षर।

शपथ कराने वाले पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम
मुहर

प्रपत्र-ग

(उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद* के लिए)

(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-24

एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 का नियम-112)

शपथ/प्रतिज्ञान पत्र

मैं , जो नगरपालिका क्षेत्र का उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद* निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक्, निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।

शपथ ग्रहण करने वाले पार्षद
का हस्ताक्षर।

शपथ कराने वाले पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम
मुहर

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

शशि शेखर शर्मा,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

जिला पदाधिकारी,
पटना/नांलदा/गया/आरा/मुजफ्फरपुर/दरभंगा एवं भागलपुर।

पटना, दिनांक:- 15-5-12

विषय:-

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अधीन नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों के शपथ-ग्रहण एवं मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद (महापौर/उप महापौर) के निर्वाचन हेतु बैठक आहूत करने एवं शपथ-ग्रहण कराने हेतु प्राधिकृत/नामित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

राज्य निर्वाचन आयोग का पत्रांक-न0नि0-50-13/2012 3057 दिनांक-11.05.2012

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 की उपधारा (3) का कृपया संदर्भ किया जाय। उक्त का अवतरण निम्नवत् है:-

"नगर निगम के मामले में बैठक नगरपालिका मामलों के प्रभारी सचिव अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत राज्य सरकार के उप सचिव से अन्यून कोटि के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा आहूत की जाएगी," अधिनियम के प्रावधान से स्पष्ट है कि नगर निगम के मामले में बैठक नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के उप सचिव स्तर से अन्यून कोटि के पदाधिकारी द्वारा बुलायी जाएगी।

नगर निगमों के निर्वाचित पार्षदों को शपथ-ग्रहण कराने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 15 (1) में निम्नवत् प्रावधान है:-

"भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जो पार्षद के रूप में निर्वाचित होगा वह अपना पद ग्रहण करने के पूर्व (क) नगर निगम के मामले में सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग अथवा उसके द्वारा नामित उप सचिव से अन्यून कोटि के पदाधिकारी तथा

(ख) नगर परिषद एवं नगर पंचायत के मामले में जिला दण्डाधिकारी या जिस अनुगण्डल क्षेत्र में नगर क्षेत्र अवस्थित हो उसका प्रभारी दण्डाधिकारी या राज्य सरकार का पदाधिकारी, जो जिला दण्डाधिकारी द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया गया हो, के समक्ष भारत के संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करने का शपथ या प्रतिज्ञान लेगा।"

निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् समय की बचत तथा पार्षदों को असुविधा न हो इस हेतु नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह एवं महापौर/उप महापौर का निर्वाचन प्रथम बैठक के दिन ही साथ-साथ करा लिया जाना उपयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयोग भी यही चाहता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 35 के अधीन नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों की प्रथम बैठक आहूत करने तथा अधिनियम की धारा 15-(1) (क) के अधीन नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण तथा धारा 24 (2) (क) के अधीन महापौर/उप महापौर को अपने पद ग्रहण हेतु गोपनीयता का शपथ ग्रहण कराने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को एतद् द्वारा प्राधिकृत/नामित किया जाता है।

विश्वासभाजन

(शशि शेखर शर्मा)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक:- 15-5-12

/न0वि0एवंआ0वि0

ज्ञापांक-

1652

/न0वि0एवंआ0वि0

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-न0नि0-50-13/2012 3057 दिनांक-11.05.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

